



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A3-83(2)/2020

प्रेषक,

**बृजेश कुमार संत,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलसचिव,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय:उत्तराखण्ड**  
महोदय,

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 534/मान्यता/के०य०/2019-20 दिनांक 03 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलपति द्वारा हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 से 2021-22 की स्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर/सैद्धान्तिक स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है:-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रेषण क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर, अल्मोड़ा	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास)	190 सीट	सत्र 2019-20

1- निरीक्षण मण्डल की आव्याएवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, य०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- महाविद्यालय को स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने के निर्णय पर य०जी०सी० विनियमानुसार फैकल्टी की नियमित नियुक्ति एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त अग्रेतर सत्र हेतु विचार किया जायेगा।

3- महाविद्यालय के जिन मानकों के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं- 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।  
तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : ३५१९ (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-83(2)/2020 तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।